Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 4, July-2022, ISSN 2230-7540

# भारत में ग्रामीण एवं नगरीय स्वच्छता

**डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह***

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बैसवारा पी.जी. कॉलेज, लालगंज-रायबरेली

***सारांश -*** *भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके उपरान्त 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा 2012 में निर्मल भारत अभियान आरम्भ किया गया। समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिषन आरम्भ किया। इस मिषन का उद्देश्य 02 अक्टूबर, 2019 तक अर्थात् महात्मा गांधी को उनकी 150 वीं जयंती पर श्रद्धाँजलि के रूप में, खुले में शौच को प्रथा समाप्त करके स्वच्छ भारत को बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन के दो उपमिशन हैं, पेयजल एवं स्वच्छत विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) द्वारा इस समग्र मिशन का समन्वय किया जाता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार 2014-2015 में 43.7 ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध था जो कि 2019-2020 में बढ़कर 10 हो गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रथम चरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के चरण-द्वितीय को अनुमोदन प्रदान किया है।*

*स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य देश के शहरों को खुले में शौच से मुक्त करना और देश के 4000 से अधिक शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का 100 वैज्ञानिक प्रबन्धन हासिल करना था। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के पहले चरण के अन्तर्गत 4324 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता अब पूरे देश में फैल चुकी है। अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.00 शुरू किया। जिसका उद्देश्य हमारे सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना है। सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू किया जायेगा। शहरों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर दिया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.00 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया।*

***मुख्य शब्द -*** *पंचवर्षीय योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वित्तीय परिव्यय।*

----------X----------

## परिचय

भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह देखते हुए कि वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1 प्रतिशत था पेयजल एवं स्वच्छता को समर्पित अन्तर्राष्ट्रीय दशक (1981-90) के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) का आरम्भ किया। जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और महिलाओं को निजता और सम्मान देना था। इसमें शौचालय निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। इस कार्यक्रम में 660 करोड़ से अधिक निवेश हुआ और 90 लाख से अधिक शौचालय बनाये गये।

भारत सरकार ने 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (T.S.C.) शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता अभियान को गति देकर 2012 तक सार्वभौमिक रूप से पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा करना रहा था। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य-ग्रामीण लोगों की सामान्य दिनचर्या से जुड़ी गुणवत्ता में सुधार लाना, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2012 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शौचालयों से आच्छादित करना, समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े जागरूकता अभियानों के जरिए गांवों में सतत् स्वच्छता

www.ignited.in

अभियान को गति देना। मार्च, 2013 तक गांवों के स्कूलों और आँगनबाड़ी महिलाओं के जरिए स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराना तथा वहां स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा देकर गांवों में लोगों में साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक करना, स्वच्छता से जुड़ी कम कीमत वाली अच्छी व उपयुक्त तकनीकी बढ़ावा देना तथा ऐसी पर्यावरणीय स्वच्छता व्यवस्था का भी ध्यान देना जो समुदाय के द्वारा ठोस व तरल अवशिष्ट उत्पाद का ठीक से प्रबन्धन कर सके। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप मे दिनांक-01 अप्रैल, 2012 को निर्मल भारत अभियान (N.B.A.) आरम्भ किया गया। इसके तहत वैयक्ति पारिवारिक शौचालयों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गयी और मनरेगा के साथ अभिसरण करके अतिरिक्त सहायता प्रदान की गयी।

उपर्युक्त कार्यक्रमों में देश की ग्रामीण स्वच्छता में प्रगति की। वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज (निजी शौचालय वाले परिवार) 33 प्रतिशत पाया गया जो कि 2001 में मात्र 22 प्रतिशत था।

समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक-02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरम्भ कियां इस मिशन का उद्देश्य 02 अक्टूबर, 2019 तक अर्थात् महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में, खुले में शौच की प्रथा समाप्त करके स्वच्छ भारत को बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन के दो उप-मिशन है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) द्वारा इस समग्र मिशन का समन्वय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रो में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाना (ODF) बनाना और SLWM गतिविधियों के माध्यम से समग्र स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने स्वच्छता को जन आन्दोलन बनाकर ग्रामीण भारत का रूपान्तरण कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार 2014-15 में 43.79 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया। यद्यपि 15वें वित्त आयोग (2020) ने कहा था कि शौचालयों की उपलब्धता के बावजूद खुले में शौच की प्रथा चालू है और इस पर जोर दिया कि लोग शौचालयों का उपयोग करते रहें। इस आदत को बनाये रखने की जरूरत है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने खुले में शौचमुक्त स्थिति से प्राप्त परिणामों को स्थायी बनाये रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की प्राप्ति के लिये सितम्बर, 2019 में एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति भी विकसित की है। इस 10 वर्षीय कार्यनीति में इसी दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने का फ्रेमवर्क बनाया गया है और इसमें राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, नीति-निर्माताओं, कार्यन्वयनकर्ताओं और ग्रामीण भारत की जनता सहित सभी सम्बन्धित हितधारकों को भावी मार्गदर्षन प्राप्त होगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रथम चरण के उद्देष्यों के प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के चरण-प्प् को अनुमोदन को प्रदान किया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-प्प् का प्रमुख उद्देश्य गांवों को खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाये रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें (O.D.F.) प्लस गांव बनाना है। O.D.F. प्लस गांव को एक ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया गया है जहां खुले में शौचमुक्त (O.D.F.) स्थिति को स्थायी रूप से बनाये रखा गया हो, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित हो और जो प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखे। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का चरण-II 140881 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ मिशन मोड ने वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 27.8 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है, जो कि सन् 2050 तक बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत हो जायेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा कराये गये एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरों से करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा प्रतिदिन निकलता है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष 7.2 मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा, 4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा, 1.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा, 1.7 मीट्रिक टन मेडिकल कचरा, 48 मीट्रिक टन नगर निगम का कचरा निकलता है। 18.6 प्रतिशत शहरी घरों के परिसर में अपने शौचालय नहीं है। शहरों में रहने वाले 12.6 प्रतिषत लोग खुले में शौच करते हैं। इनमें से 6 प्रतिशत सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग मलिन बस्तियों में रहता है। इसमें अधिकांश घरों में शौचालय का आभाव होता है।

भारत में विशाल ठोस कचरे का प्रबंधन, सबको शौचालय सुविधा व जल-मल प्रबंधन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ठोस कचरा प्रबंधन के तीन मूल विचारों-घटाओं, फिर इस्तेमाल करो व पुनः उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है। शहरी कचरे का 30 से 55 प्रतिशत जैविक कचरा होता है जिससे खाद

बनायी जा सकती है जबकि अजैविक कचरे की रिसाइक्लिंग से कई चीजें बनायी जा सकती है।

नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कूड़ा-कचरा एकत्र करने की सुविधा का नहीं होना भी स्वच्छता को प्रभावित करता है। कई शहरों में कचरे को एकत्र करने की उचित व्यवस्था नहीं है जिससे कूड़ा खुले में गलियों, सड़कों, पर फेंका जाता है। आवासीय परिसर के बाहर, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की स्थिति बहुत दयनीय है।

स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए जलापूर्ति अहम है। इसके बगैर शौचाल स्वच्छ रखना अत्यन्त मुश्किल है। दूसरी ओर पानी का अधिक प्रयोग करने से पानी की बर्बादी होती है। घरों से निकले गन्दे पानी की निकासी के लिए नालों की व्यवस्था है। नालों में कूड़े व पाॅलीथीन के कारण कई बार ये बन्द हो जाते हैं जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति आ जाती है। गन्दे पानी और सीवर के पानी का उपचार और उसके पुनर्चक्रण को स्वच्छता नीति का एक भाग बनाना होगा। अतः शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अपेक्षाकृत बड़ा मुद्दा है और इस पर समग्र रूप से विचार किया जाना उपयोगी सिद्ध होगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) के 2013 में लगाये गये एक आंकलन के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले पहले श्रेणी के शहरों में 2013 में भूमिगत सीवरेज से प्रतिदिन 3555.8 करोड़ लीटर जल-मल निकला, जो देश में कुल जल-मल का 93 प्रतिशत है। इन शहरों के जल-मल शोधन संयंत्रों की क्षमता 1155.2 करोड़ लीटर प्रतिदिन बतायी जाती है, जो कुल जल-मल का सिर्फ 32 प्रतिशत है और घरों से निकलने वाले कुल गन्दे पानी का महज 10-12 प्रतिषत ही है जिसे शहरों में शोधित करने की जरूरत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी पाया है कि वास्तविक जल-मल शोधन, संयंत्र की कुल क्षमता से काफी कम मात्रा में होता है और इसकी वजह यह है कि जल-मल प्रवाह की व्यवस्था ठीक नहीं होती और शोधन यंत्र का संचालन और रखरखाव भी सही ढंग से नहीं हो पाता है।

शताब्दी विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत को वर्ष 2015 तक अपनी शहरी जनसंख्या के आधे लोगों तक तथा 2015 तक शत-प्रतिषत जनसंख्या तथा सुधरी हुई सफाई व्यवस्था की पहुंच करवानी है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने सन् 2008 में राष्ट्रीय स्वच्छता नीति बनाई थी। भारत में स्वच्छता राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार नीतियां बनाकर राज्यों को कोष उपलब्ध कराती हैं। पर इन नीतियों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में राज्यों को विस्तृत राज्य-स्तरीय शहरी स्वच्छता कार्य प्रणाली और नगरी स्वच्छता योजना बनाने की सलाह दी थी। कोष का प्रबंध केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष सहायता अथवा लोक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। केन्द्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन (JNNURM-II) से धन दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को "स्वच्छ भारत अभियान" का शुभारम्भ किया जिसमें उन्होंने सन् 2019 तक भारत को "कचरा मुक्त भारत" बनाने का संदेश दिया।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (SBM Urban) का उद्देष्य देश के शहरों को खुले में शौच से मुक्त करना और देश के 4000 से अधिक शहरों में म्यूनिसिपिल ठोस कचरे का 100 वैज्ञानिक प्रबन्धन हासिल करना था। इनमें से एक लक्ष्य यह था कि 2 अक्टूबर 2019 तक 66 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जाएं। हालांकि 2019 में इस लक्ष्य को कम करके 59 लाख किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी के पहले चरण के अन्तर्गत 4324 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अल शौचालय हों।

2017 में यूनिसेफ के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 82 प्रतिशत लोगों को ऐसा लगा कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण उनकी स्थिति बेहतर हुई है और 87 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि घर में शौचालय होने के बाद वह अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता अब पूरे देश में फैल चुकी है लेकिन शहरी विकास सम्बन्धी स्टैंडिंग कमेटी (2021) ने स्रोत पर कचरे को अलग-अलग करने, घर-घर जाकर जमा करने और कचरा प्रोसेसिंग के लक्ष्यों को हासिल करने की धीमी गति पर चिन्ता जतायी।

1 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.00 को शुरू किया। जिसका उद्देश्य हमारे सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना है। इस मिषन में खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के परिणामों पर जोर दिया जायेगा। सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू किया जायेगा। शहरों में अपशिष्ट जल के प्रबन्धन पर जोर दिया जायेगा, जिससे कि गन्दा पानी नदियों में न गिरे। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 36,465 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिषन (षहरी) 2.00 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय तय किया गया

है। यह मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का मुख्य जोर अगले 5 साल में अब तक हासिल की गई स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना व उनकी गति बढ़ाने पर होगा। ताकि मिशन के 'कचरा मुक्त' शहरी भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मिशन के विभिन्न भागों का कार्यान्वयन एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से किया जायेगा, जिसमें आवश्यक आधारभूत ढांचे का विष्लेषण, 5 वर्षीय विस्तृत कार्ययोजना और समय सीमा के साथ वार्षिक कार्य योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) वाले शहरों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

सभी पुराने कचरा स्थलों के जीर्णोद्धार पर जोर दिया जायेगा ताकि 15 करोड़ टन पुराने कचरे से ढकी 14000 एकड़ भूमि को मुक्त किया जा सके।

भारतीय शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिषन शहरी 2 के निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त निम्न उपाय भी करने होंगेः

- शहरों में सड़क पर घूमने वाले जानवरों जैसे गाय, बैल, सांड़, भैंस, सुअर, कुत्ता आदि पर रोक लगानी होगी।
- राजस्व का साधन न मानकर पान, गुटका सिगरेट, शराब आदि पर सार्वजनिक रूप से बिक्री व खरीद पर रोक लगे, जिससे लोगों के मुंह स्वच्छ रहें व सार्वजनिक स्थल भी स्वच्छ रह सके।
- उपभोग सामाग्रियों की पैकिंग पॉलीथीन से न हो इस पर रोक लगानी होगी ।
- पानी की बोतलों से बढ़ने वाले कचरे को ध्यान में रखकर इसके लिए कोई नया विकल्प देना होगा।
- बायोडिग्रेडेबल पैकिंग में अपने उत्पाद को पैक करने के लिए कम्पनियों को प्रोत्साहित करना होगा। नान बायोडिग्रेडेबल पैकिंग ( पॉलीथीन) को हतोत्साहित करना होगा।
- ई-कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, आदि कचरे के निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए।
- स्वच्छता व साफ-सफाई को स्कूली स्तर पर ही पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। स्वच्छता का समाजशास्त्र पेपर समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर सम्मिलित होना चाहिए।

**सन्दर्भ ग्रन्थ**


1. भारत की जनगणना 2001
2. भारत की जनगणना 2011
3. कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2014
4. इंडिया टुडे 26 अगस्त, 2015
5. स्वच्छ भारतः सशक्त भारत, महेश शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली 2017
6. स्वच्छ भारत, महेश्वर, भारतीय ज्ञानपीठ, 2017
7. स्वच्छ भारत क्रान्ति परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित, 2020 डायमंड बुक्स
8. स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण) चरण-प्प् के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश 2020 पेयजल
9. एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
10. स्वच्छ भारत मिशन के सात साल- पयोजा अहलूवालिया, 2 अक्टूबर, 2021



**Corresponding Author**

**डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह***

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बैसवारा पी.जी. कॉलेज, लालगंज-रायबरेली

ईमेल : drsksinghbdc@gmail.com